अध्याय - VI

# निरीक्षण प्रबन्ध

## 6.1 प्रस्तावना

उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 29 अक्तूबर 2002 में प्रस्तुत उत्पत्ति ग्रन्थ कि प्रतिपूरक वनरोपण निधि बनाई जाएगी जिसमें प्रतिपूरक वनरोपण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण, वन भूमि का वर्तमान निवल मूल्य, जलग्रहण क्षेत्र संसाधन योजना निधि आदि के प्रति प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त सभी धन जमा किया जाएगा। प्रतिपूरक वनरोपण निधि के प्रबन्धन के लिए नियम, कार्यविधि तथा निकाय का संघटन को सीईसी के परामर्श से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना था। इन आदेशों के अनुपालन में धन प्राप्त करने प्रबन्ध करने और वितरण करने तथा निगरानी करने और कार्यों का मूल्यांकन करने के उत्तरदायित्व के साथ सीएएफ के अभिरक्षक के रूप में कैम्पा का सृजन अप्रैल 2004 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। तदर्थ कैम्पा एक अन्तरिम निकाय था जो कैम्पा के प्रचालन में आने तक बनाया गया था। आरम्भ में इसके अधिदेश में धन का संग्रहण तथा उसका निवेश शामिल किया गया। 2009 में तदर्थ कैम्पा को निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार निधियां वितरित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था और साथ ही साथ राज्य/यूटी कैम्पा के सृजन के लिए मार्ग निर्देश अधिसूचित किए गए थे।

## 6.2 प्राधिकरण का सतत अनन्तिम स्वरूप

भारत के उच्चतम न्यायालय ने नवम्बर 2001 में पाया कि प्रतिपूरक वनरोपण के लिए जमा की गई निधियों का अल्प उपयोग हुआ था और प्रयोक्ता एजेंसियों से राज्य सरकारों द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण के धन की बड़ी राशि भी वसूल नहीं की गई थी। उन्होने पाया कि कुछ राज्यों में निधियां "वन जमा" के रूप में जमा की गई थीं और वनरोपण के लिए आसानी से उपलब्ध कराई गई थीं जबकि अन्य राज्यों में निधियां राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के रूप में जमा की गई थीं तथा केवल बजटीय प्रावधानों के माध्यम से वन विभाग को उपलब्ध कराई जा सकीं। प्रतिपूरक वनरोपण की गति तथा गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से न्यायालय ने अक्तूबर 2002 में अलग निधि बनाई ताकि योजनाओं आदि के कार्यान्वयन में आवश्यक नमनीयता देने के लिए सतत आधार और धन का सामयिक तथा पर्याप्त निर्गम सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध रीति में प्रतिपूरक वनरोपण किया जा सके परन्तु अभिप्रेत प्रयोजन पूरे नहीं किया जा सके। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि भारत संघ आठ सप्ताह के अन्दर निकाय के गठन और प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के प्रबन्धन के संबंध में व्यापक नियम बनाएगा।

आरम्भ में सीए के लिए ₹ 297 करोड़ सम्बन्धित राज्यों/यूटी के वन विभागों के पास अप्रयुक्त पड़ा था और यह ₹ 1200 करोड़ तक बढ़ गया तथा 2006 में तदर्थ कैम्पा को क्रेडिट किया गया। यह राशि 2009 में ₹ 9932 करोड़ तक बढ़ गई और मार्च 2012 तक ₹ 23607.67 करोड़ तक संचित हो गई। 2009–12 के दौरान तदर्थ कैम्पा द्वारा ₹ 2829.21 करोड़ की राशि जारी की गई थी और 2006–09 के दौरान कोई राशि जारी नहीं की गई थी।

हमने पाया कि अप्रैल 2004 में कैम्पा के सृजन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना के बावजूद निकाय प्रचालनात्मक नहीं हुआ जिससे मई 2006 में उच्चतम न्यायालय को तदर्थ कैम्पा सृजित करने के लिए आदेश पारित करने की आवश्यकता हुई और इसने उस समय तक कार्य करना था जब तक नियमित कैम्पा प्रचालन में नहीं आए। तदर्थ कैम्पा का कार्यचालन उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे दिए अधिदेश अथवा निर्देशों तक सीमित किया गया था। 2006–09 के बीच इसने केवल राज्यों से सीएफ संग्रहीत किया और इसके निवेश का प्रबन्ध किया। 2006 से 2009 तक की अवधि के दौरान तदर्थ कैम्पा द्वारा निधियों का निर्गम नहीं किया गया था। परिणामत : इसने भारत में प्रतिपूरक वनरोपण की कार्यविधि रोक दी। सीए कार्यकलापों के लिए निर्गम जुलाई 2009 में आरम्भ हुए जब उच्चतम न्यायालय ने अगले पांच वर्षों के लिए केवल ₹ 1000 करोड़ प्रतिवर्ष अथवा सम्बन्धित राज्य/यूटी से सम्बन्धित मूल राशि का 10 प्रतिशत जारी करने का सीमित अधिदेश दिया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/तदर्थ कैम्पा के पास वन भूमि के विपथन, कैम्पा निधियों के संग्रहण तथा उपयोग से सम्बन्धित एमआईएस नहीं था।

हमारे विचार में कैम्पा की अप्रचालनात्मकता, जिसकी मार्गनिर्देश, निर्देश तथा निरीक्षण प्रदान करने के लिए स्थाई, स्वतन्त्र प्राधिकरण के रूप में परिकल्पना की गई थी, ने भारत में सीए कार्यकलापों को बाधित किया। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन स्थाई प्राधिकरण के सृजन की आवश्यकता का उल्लेख करता है जो व्यापक संवैधानिक तथा कानूनी ढ़ाँचे में प्रभावी रूप से तथा कुशलता से प्रतिपूरक वनरोपण सुनिश्चित करने का अधिदेश निष्पादित कर सकता है।

## 6.3 व्यय का प्राधिकरण

तदर्थ कैम्पा के अन्तर्गत तथा राज्य कैम्पा द्वारा सीएएफ से व्यय करने की संस्थागत डिजाइन संघ सरकार तथा राज्य सरकार दोनों द्वारा किए जा रहे व्यय से कुछ कुछ भिन्न है।

तदर्थ कैम्पा द्वारा तथा राज्य कैम्पा द्वारा वर्तमान में किए जा रहे व्यय के मामले में ऐसा व्यय करने के लिए कोई विधायी प्राधिकरण नहीं है। इस निधि में धन उच्चतम न्यायालय के आदेशों/निर्देशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से बाहर रखा जाता है और संसद से प्राधिकार बिना खर्च किया जाता हैं। न्यायालय ने 2002 में अपने आदेश पारित किए जब व्यय की मात्रा आरम्भिक वर्षों के दौरान नगण्य थी। अब मार्च 2012 के अन्त तक किया गया व्यय ₹ 2829.21 करोड़ के निर्गमों के प्रति ₹ 1775.84 करोड़ था। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रतिपूरक वनरोपण के अधीन प्रयोक्ता एजेंसियाँ से संग्रहीत की जा रही बडी राशियों को देखते हुए और कैम्पा के उदेदश्यों के संदर्भ में कैम्पा संबंधित कार्यकलापों पर व्यय करने के प्राधिकरण के संबंध में वर्तमान संस्थागत डिजाइन की समीक्षा करना, जहा आवश्यक समझा जाए, उच्चतम न्यायालय से संपर्क करना आवश्यक हो जाता है। एमओईएफ ने बताया (अप्रैल 2013) कि ये तथ्यों के विवरण थे और टिप्पणियां अपेक्षित नहीं थीं।

## 6.4 लेखाकरण

### 6.4.1 उचित लेखाकरण फारमेट तथा लेखाओं का अनुरक्षण

#### 6.4.1.1 तदर्थ कैम्पा

23 अप्रैल 2004 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी आरम्भिक अधिसूचना में कैम्पा द्वारा अपनाए जाने वाली प्रणाली अथवा फारमेट का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया था। बाद में पर्यावरण एवं वन

मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 13 मार्च 2007 के अनुसार 26 सितम्बर 2005 को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कैम्पा को दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के आधार पर निगम लेखाकरण करने का निर्देश दिया गया था।

निर्धारित वित्तीय सूचना ढांचे के अनुसार लेखाओं का अनुरक्षण नियंत्रण, जवाबदेही तथा निगरानी स्थापित करने की नींव रखता है। चूंकि कैम्पा निधियों को दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के आधार पर निगम लेखाकरण में रखा जाना था इसलिए आसानी से उपलब्ध व्यावासायिक संदर्भ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान गैर सरकारी क्षेत्र में लेखाकरण के लिए मानक स्थापन निकाय, द्वारा जारी लाभ के लिए नहीं संस्थान के लेखाकरण पर तकनीकी गाइड थी।

तदर्थ कैम्पा बैठकों के कार्यवृत्तों से हमने देखा कि लेखाओं के फारमेट के अनुसार उचित वित्तीय लेखाकरण प्रणाली, अनुरक्षित किए जाने वाले अभिलेख, लेखाओं का मिलान आदि निर्धारित करने के विषय पर तदर्थ कैम्पा बैठकों में आवधिक रूप से चर्चा की गई थी और इस संबंध में समय–समय पर निर्देश जारी किए गए थे। ऐसे निर्देशों का सार तालिका 41 में दिया गया है।

तालिका 41 : लेखाकरण विषयों पर तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निर्देशों /अवलोकनों का सार

| बैठक सं. तथा तारीख | जारी निर्देश /अवलोकन |
|---|---|
| पहली बैठक (15 मई 2006) | चूंकि तदर्थ कैम्पा में जमा की जानी वाली निधियां सरकारी राजस्व के अतिरिक्त मानी जानी हैं इसलिए उचित वित्तीय लेखाकरण प्रणाली अपनाए जाने की आवश्यकता है। |
| द्वितीय बैठक (7 जुलाई 2006) | • संबंधित राज्य/यूटी सरकारों के साथ प्राप्तियों का आवधिक मिलान अनिवार्य था।<br>• तदर्थ निकाय के वित्तीय सलाहकार के परामर्श से एक प्राप्ति खाता खोला जाएगा जो उसके मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण के अन्तर्गत उचित रूप से अनुरक्षित किया जाएगा।<br>• राज्य/यूटी, कार्पोरेशन बैंक तथा तदर्थ कैम्पा के साथ प्राप्तियों का परस्पर संदर्भ करने के लिए एक उचित तन्त्र भी वित्तीय सलाहकार के परामर्श से विकसित किया जाएगा।<br>• राज्य/यूटी सरकारों से प्राप्त निधियों के मासिक विवरण को मिलान के लिए उन्हें वापस भेजा जाएगा। |
| चौथी बैठक (27 नवम्बर 2006) | • प्राप्य धन, वास्तव में प्राप्त धन, प्राप्य ब्याज की राशि, प्राप्त ब्याज की राशि, तदर्थ कैम्पा को अन्तरित किए जाने वाला धन और वास्तव में अन्तरित धन के ब्यौरे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत अनुमोदित प्रत्येक मामले के संबंध में संकलित किए जाने चाहिए।<br>• यह सुनिश्चित करने की उपर्युक्त सूचना संकलित की जाती है और अनुमोदित प्रत्येक मामले के लिए लेखापरीक्षा की जाती है, के लिए एक संस्थानीकृत प्रणाली होनी चाहिए।<br>• उपर्युक्त सूचना के अभाव में सीएजी द्वारा कोई अर्थपूर्ण लेखापरीक्षा नहीं की जा सकती है। |

| बैठक सं. तथा तारीख | जारी निर्देश /अवलोकन |
|---|---|
| 6 वीं बैठक (11 अप्रैल 2007) | यह देखा गया था कि प्रतिपूरक वनरोपण निधियों, जो राज्य/यूटी सरकारों द्वारा अन्तरित की जानी थीं और जो उनके द्वारा तदर्थ कैम्पा में जमा की गई के मिलान के लिए मुश्किल से कोई प्रगति की गई है। |
| 7 वीं बैठक (20 जून 2007) | यह देखा गया था कि राज्य/यूटी स्तर पर उपलब्ध आंकड़ो के साथ विभिन्न राज्यों/यूटी से तदर्थ कैम्पा द्वारा प्राप्त निधियों से संबंधित आंकड़ों का मिलान अभी तक नहीं किया गया हैं। चूंकि तदर्थ कैम्पा स्तर पर आंकडे अर्थपूर्ण फारमेट में संकलित नही किए गए हैं इसलिए वर्तमान में ऐसा मिलान सम्भव नहीं है। इसके अलावा इस स्थिति में सीएजी द्वारा कोई अर्थपूर्ण लेखापरीक्षा व्यवहार्य नहीं है। |
| 9 वीं बैठक (9 मार्च 2009) | कार्यों के निष्पादन के लिए विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत जमा की गई निधियां और राज्यों को इनके निर्गम के ब्यौरे संकलित किए जाने चाहिए और तत्काल इनका मिलान किया जाना चाहिए। |
| 12 वीं बैठक (17 जनवरी 2010) | यह निर्णय लिया गया था कि तदर्थ कैम्पा में धन जमा करने के संबंध में राज्यों से रिपोर्टों के प्राप्त न होने के विषय को राष्ट्रीय कैम्पा सलाहाकार परिषद की अगली बैठक में विचार करने के लिए लाया जाना चाहिए। |
| 17 वीं बैठक (14 सितम्बर तथा 17 अक्तूबर 2011) | लेखाओं के रखरखाव की प्रक्रिया पर विस्तार से विचार किया जाए और जहॉ आवश्यक हो, सीएजी कार्यालय के अनुमोदन से ऐसी प्रक्रियाओं को उचित रूप से वर्गीकृत किया जाए। |

सीएजी के प्रतिनिधि ने अपने पत्र दिनांक 19 अप्रैल 2012 में टिप्पणी दी कि तुलन पत्र के रूप में कोई वार्षिक वित्तीय विवरण निकाय की किसी बैठक में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होनें विशेष रूप से यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या तदर्थ कैम्पा उचित लेखा बहियों का रखरखाव और बैंक विवरणों तथा एफडी में जमा राशियों के ब्यौरों के रूप में अभिलेख रखकर वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार कर रहा था।

'तदर्थ कैम्पा की लेखा बहियों के रखरखाव तथा सम्बद्ध विषयों से संबंधित' जुलाई 2012 में सदस्य सचिव सीईसी तथा सदस्य तदर्थ कैम्पा द्वारा तैयार कार्यसूची तदर्थ कैम्पा लेखाओं की निराशाजनक स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है जैसा नीचे दर्शाया गया;

- तदर्थ कैम्पा की लेखाबहियां गत दो वर्षों और आगे किंचित बनाई नही गई हैं। पूर्व वर्षों की लेखा बहियां भी उचित रूप से बनाई नहीं गई हैं/मिलान नहीं किया गया है ;

- विभिन्न राज्यों/यूटी से एनपीवी, सीए आदि के प्रति प्राप्त राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में एफडीआर के रूप में किए गए निवेशों से प्राप्त ब्याज, विभन्न राष्ट्रीकृत बैंकों में एफडीआर में निवेशित राशि, एफडीआर से परिपक्वता के बाद प्राप्त राशि और वैद्यता के दौरान एफडीआर की बकाया राशि, का वर्षवार/आवधिक मिलान किया नहीं गया है और इस प्रयोजन हेतु कोई प्रभावी प्रणाली स्थापित नहीं की गई है;

- यह सुनिश्चित करने कि क्या एफडी आर के रूप में निवेशित राशि का वास्तव में निवेश किया गया है और क्या यह परिपक्वता पूर्व भुनाई (अप्राधिकृत रूप से) नहीं गई है, के लिए आवधिक सत्यापन के लिए नियंत्रण और संतुलन की उचित प्रणाली स्थापित नहीं की गई है; और

- विभिन्न राज्यों/यूटी से तदर्थ कैम्पा द्वारा प्राप्त राशियों का संबंधित राज्य/यूटी द्वारा जमा की गई राशि से वर्षवार /आवधिक मिलान नहीं किया गया है।

- मामलों की उपर्युक्त स्थिति अति व्याकुल करने वाली है और यह अत्यावश्यक है कि तत्काल उपचारी उपाय किए जाते हैं। ऐसे उपायों की एक सूची भी प्रस्तावित थी।

इस संबंध में हमने देखा कि तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निर्देशों का मुश्किल से पालन किया गया था और कार्यान्वित किए गए थे और कोई उचित लेखाकरण अभिलेख बनाए नहीं गए थे जैसा नीचे दर्शाया गया है:

- इसके आरम्भ से तदर्थ कैम्पा के प्राप्ति तथा भुगतान, आय तथा व्यय और परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के लिए कोई वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया था;

- रोकड़ बही तथा जर्नल लेजर जैसे प्राथमिक अभिलेख बनाए नहीं गए थे;

- प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त निधियों, राज्यों/यूटी द्वारा प्रेषित राशियों, तदर्थ कैम्पा द्वारा प्राप्त राशियों, विभिन्न बैंक खातों और सावधि जमाओं मे पड़ी राशियों, उपनपर प्राप्त/उपचित ब्याजों का कोई मिलान नहीं किया गया था;

- अनुरक्षित सावधि जमा रजिस्टर अपर्याप्त तथा अप्रमाणित थे।

तदर्थ कैम्पा ने आन्तरायिक रूप से व्यावसायिक लेखाकारों की सेवाएं ली। श्री आर के तुली 7 जुलाई 2006 से 20 जून 2007 तक वित्तीय सलाहाकार था। जून 2007 में तदर्थ कैम्पा ने वित्तीय सलाहाकार के रूप में सनदी लेखाकार फर्म और सीए आर्टिकल, जिन्होनें लेखाकार के रूप में व्यावसायिक शिक्षा । तथा ।। पूर्ण कर लिया था, लगाने पर विचार किया। उपयुक्त लेखाकरण साफ्टवेयर प्राप्त करने को ₹ 25000 खर्च करने की प्रशासनिक संस्वीकृति भी दी गई थी। यद्यपि सीएजी के पास सूचीबद्ध सनदी लेखाकर फर्मों की एक सूची 14 सितम्बर 2007 को सीएजी के प्रतिनिधि द्वारा तदर्थ कैम्पा को भेजी गई थी परन्तु ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी। श्री के एस आचार को मई 2010 में सलाहाकार के रूप में नियुक्त किया गया था और यह काफी बाद अप्रैल 2011 में हुआ था कि उसे ओएसडी बनाया गया तथा उसे तदर्थ कैम्पा निधियों के लेखाओं का रखरखाव करने का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया था। मै. आर के तुली को छः माह की आरंभिक अवधि के लिए 1 अगस्त 2012 को तदर्थ कैम्पा का वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया था। उसके कर्तव्यों में तदर्थ कैम्पा के लेखाओं को अन्तिम करने में गहन संवीक्षा तथा सहायता, एक समयबद्ध रीति में वित्तीय वर्ष 2006–07 और आगे के लिए वित्तीय लेखा विवरण तैयार करना, लेखाओं के मामले में निपुण आर्टिकल सहायक/लेखाकार की सहायता करना और वित्तीय /लेखाओं के क्षेत्र में कोई अन्य सहायता जो समय–समय पर मांगी जाए, को शामिल किया गया। निधियों का उचित लेखा बनाने के लिए और दोहरी प्रविष्टि प्रणाली, के आधार पर निगम लेखाकरण के अनुरूप लेखे नियमित रूप से तैयार

करना सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से योग्य जनशक्ति लगाने में तदर्थ कैम्पा के कार्यकारी सदस्यों की और से गम्भीरता की कमी हुई थी। ये लेखे तैयार और तदर्थ कैम्पा को अनुमोदन तथा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

हमारे विचार में जवाबदेही के पहले सिद्धान्त कि निकाय, जिसको निधियां सौंपी गईं, को उसके लिए लेखा प्रस्तुत करना चाहिए, का पूर्णतया उल्लंघन किया गया था। तदर्थ कैम्पा से वित्तीय सूचना के लिए उचित ढ़ाचा तत्काल विकसित करने, उचित लेखा भेजने के लिए पर्याप्त संसाधन मुहैया किए गए थे, मामलों की स्थिति का सत्य एवं उचित दृश्य देने वाले लेखे आवधिक रूप से बनाए गए थे, सुनिश्चित करने, की अपेक्षा की गई थी। समय की लम्बी अवधि में ऐसा करने में इसकी विफलता ने सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के दुरूपयोग के जोखिम और उनकी सुरक्षा को जोखिम में डाल दिया है।

2006 –12 के लेखे जुलाई 2012 के बाद तैयार किए गए थे। 7 फरवरी 2013 को आयोजित 22 वीं बैठक में तदर्थ कैम्पा ने लेखा विषय अपनाने और सनदी लेखाकारों की सीएजी सूचीबद्ध फर्म द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा के अध्यधीन और पूर्णता तक लम्बित रखने का निर्णय लिया। 30 राज्यों के लेखे विवरण तथा तुलनपत्र तदर्थ कैम्पा द्वारा 7 फरवरी 2013 को लेखापरीक्षा के लिए भेजे गए थे। ये सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से प्रमाणित अथवा हस्ताक्षरित नहीं थे और आन्तरिक लेखापरीक्षा होने तक तदर्थ कैम्पा द्वारा सशर्त अनुमोदित किए गए थे। इनमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वित्तीय विवरणों के फारमेट, अनुमोदित लेखाकरण नीति तथा लेखाओं की टिप्पणियां, सभी बैंक खातों की सूची और सभी बैंक खातों के बैंक मिलान विवरण शामिल नहीं किए गए थे। उस रूप में ये लेखे से अधिक अधिक ड्राफ्ट लेखे थे, वित्तीय सूचना जो तैयारी से प्रभारित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं थी इसलिए बाहय लेखापरीक्षकों अर्थात सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि तदर्थ कैम्पा तथा राज्य कैम्पा के लेखा फारमेट के लिए पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) से पत्राचार में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सम्पर्क किया गया था। सीएजी ने सलाह दी कि महालेखा नियंत्रक (सीजीए) से सम्पर्क किया जाए परन्तु सीजीए ने तदर्थ कैम्पा के लिए लेखा कार्यविधि निर्धारित करने को अस्वीकार कर दिया, इसके बजाय जोर दिया कि निधियां भारत की समेकित निधि /लोक लेखे में रखी जाएं। यह अब भी धुंधला क्षेत्र है कि क्या दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित निगम लेखाकरण की अपेक्षा केवल तदर्थ कैम्पा को अथवा राज्य कैम्पाओं को लागू होती है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नवम्बर 2011 में अर्थात तदर्थ कैम्पा के गठन के पांच वर्ष से अधिक के बाद लेखाओं का फारमेट सूचित करने के लिए पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र) प्रभार द्वारा सीएजी को सम्पर्क किया गया था। तथ्य यह शेष रहता है कि तदर्थ कैम्पा ने फरवरी 2013 तक वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए। यह केवल 2013 के आरम्भ में हुआ था कि 2006–12 की अवधि के लेखे सर्वप्रथम तदर्थ कैम्पा को प्रस्तुत किए गए थे। इसके अलावा एमओईएफ ने सूचित किया (जुलाई 2013) कि कैम्पा निधियों की आन्तरिक लेखापरीक्षा समापन पर थी और एकबार वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट तदर्थ कैम्पा द्वारा अपनाए जाने पर ये लेखापरीक्षा को भेजे जाएंगे। राज्य कैम्पा के लेखाओं का फारमेट निर्धारित करने का उत्तरदायित्व महालेखाकारों का था जो अपने आप 2012 किया गया था।

### 6.4.1.2 राज्य/यूटी कैम्पा

उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 10 जुलाई 2009 के अनुसार राज्य स्तर कार्यकारी समिति को लेखाओं, विवरणियों, के रखरखाव के लिए और लेखापरीक्षा के लिए उपयुक्त तथा प्रभावी लेखाकरण प्रक्रिया विकसित करनी थी। राज्य कैम्पा के मार्गनिर्देशों (2 जुलाई 2009) में निर्दिष्ट किया गया कि राज्य कैम्पा उचित लेखाओं तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों का रखरखाव और ऐसे फार्म, जैसा संबंधित महालेखाकार के परामर्श से निर्धारित किया जाए, में वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

राज्य/यूटी कैम्पा के लिए लेखाओं का एक समान फारमेट मई 2012 में राज्य/यूटी कैम्पा के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा स्वतः निर्धारित किया गया था।

आंध्रप्रदेश तथा असम को छोड़कर किसी भी राज्य ने निर्धारित फारमेट में दिसम्बर 2012 तक अपने लेखे तैयार नहीं किए। दिसम्बर 2012 तक राज्य /यूटी कैम्पा के लेखे तैयार करने की स्थिति अनुबंध – 10 में दी गई है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि यह अब भी धुंधला क्षेत्र है कि क्या दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित निगम लेखाकरण की अपेक्षा केवल तदर्थ कैम्पा अथवा राज्य कैम्पाओं को भी लागू होती है। ऊपर उल्लिखित पृष्ठभूमि में राज्य कैम्पाओं में अपनाए जाने वाले लेखा फारमेट के बारे में केवल महालेखाकारों की और से स्पष्टता की कमी नहीं हुई।

उत्तर इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि जुलाई 2009 के राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेखों का रखरखाव करेंगे तथा ऐसे फार्म में लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेंगे जैसा सम्बन्धित महालेखाकार के परामर्श से निर्धारित किए जाए जो कि मई 2012 में निर्धारित किया गया था।

### 6.4.2 निधियों का मिलान

मिलान प्रति सत्यापन और दो अथवा अधिक पार्टियों, जो परस्पर लेनदेन में लगी हैं, के लेखाओं के बीच शेषों की स्वतंत्र पुष्टि की प्रकृति में हैं।

पूर्ण तथा सही लेखे बनाने के उददेश्य से तथा यह सुनिश्चित करने कि संग्रहीत तथा संवितरित सभी धन उचित रूप से लेखांकित किए गए थे और परिसम्पत्तियों (प्राप्य/बैंक शेष/सावधि जमा) की विद्यमानता तथा पूर्ण लेखाकरण की पुष्टि करने के लिए यह आवश्यक था कि निम्नलिखित का मिलान किया जाना चाहिए था :

- गैर वन उपयोगों के लिए वन भूमि का विपथन अनुमत करने के लिए वसूली योग्य राशि तथा तदर्थ कैम्पा, राज्य/यूटी कैम्पा अथा राज्य/यूटी सरकार को प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा प्रेषित राशियों का परियोजना वार मिलान;
- राज्य/यूटी कैम्पा अथवा राज्य/यूटी सरकार द्वारा प्राप्त राशियों और तदर्थ कैम्पा को प्रेषित राशि;

- अपने लेखा अभिलेखों के अनुसार तदर्थ कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि तथा राज्य/यूटी कैम्पा द्वारा प्रेषित राशियां;
- अपने लेखा अभिलेखों के अनुसार तदर्थ कैम्पा द्वारा वितरित राशियां तथा राज्य/यूटी कैम्पा में प्राप्त के रूप में दर्ज राशियां।
- उसके द्वारा धारित तदर्थ कैम्पा के सावधि जमाओं की प्रत्येक बैक से स्वतंत्र पुष्टि के साथ तदर्थ कैम्पा लेखाओं के अनुसार सावधि जमाओं में रखी गई के रूप में दर्ज राशियां।
- तदर्थ कैम्पा लेखाओं तथा प्रत्येक बैक विवरण के अनुसार बैक शेषों का मिलान।

यह दर्शाने के लिए कि प्राप्य सभी प्रतिपूरक वनरोपण निधियां प्राप्त हो गई थीं और राज्य कैम्पा अभिलेखों में संगत आंकड़ो के साथ उनके आवधिक मिलान के अभिलेख बनाना यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व पूरा करने का केन्द्र था कि राज्य कैम्पा के पास पड़ी सभी राशियां कैम्पा निधि को अन्तरित की गई हैं। अभिलेखों में विसंगतियों के मामले और राज्य/यूटी कैम्पा के साथ तदर्थ कैम्पा अभिलेखों का मिलान करने की तत्काल आवश्यकता पर तदर्थ कैम्पा बैठकों में बारम्बार चर्चा की गई थी जैसाकि तालिका 41 में दर्ज है परन्तु इस प्रतिवेदन के पूर्व अध्यायों में सूचित तदर्थ कैम्पा तथा राज्य/यूटी कैम्पा के आंकड़ो में विसंगतियों से जैसा दर्शाया गया, ऐसे कोई मिलान नहीं किए गए थे। हमने पाया कि ऐसे निर्देशों के बावजूद तदर्थ कैम्पा तथा राज्य कैम्पाओं के अभिलेखों में विसंगतियां बनी रहीं और राज्य अभिलेखों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। इसलिए प्राप्तियों के मिलान के विषय पर लगभग सभी बैठकों में चर्चा की गई थी परन्तु प्रत्यक्ष कुछ नहीं किया गया था। सम्पूर्ण कवायद केवल कागजों पर रही।

## 6.5 लेखापरीक्षा

### 6.5.1 तदर्थ कैम्पा

कैम्पा के गठन से संबंधित 23 अप्रैल 2004 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार कैम्पा को अपने लेखाओं की सनदी लेखाकार (रों), जो भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक की सूची पर हैं, के माध्यम से आन्तरिक रूप से तथा बाह्य रूप से लेखापरीक्षा कराई जानी थी और लेखापरीक्षक (कों) का चयन कैम्पा के शासी निकाय द्वारा किया जाना था।

4 मई 2006 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की लेखापरीक्षा करने वाले प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा वैज्ञानिक विभाग, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय, ने सीईसी को अपने प्रतिवेदन में निम्नलिखित का उल्लेख किया :

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास कैम्पा के अधीन संग्रहीत निधियों को ब्यौरों पर केन्द्रीय डाटाबेस नहीं है,
- कैम्पा को अभी प्रचालन में आना है,
- लेखापरीक्षा कार्य तथा जनशक्ति आवश्यकता की मात्रा सुनिश्चित करने की कवायद आरम्भ की गई है,

- अधिकांश राज्य महालेखाकारों ने कुछ डीएफओ की नमूना लेखापरीक्षा की है और जांच के आरम्भिक चरणों में ब्याज की हानि और कैम्पा निधियों के विपथन की प्रवृतियां देखी गई हैं।

5 मई 2006 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने तदर्थ कैम्पा के सृजन का आदेश करते हुए यह भी निर्देश दिया कि इसे कैम्पा की बाबत प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त सभी धन तथा विभिन्न राज्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा उन पर अर्जित आय की लेखापरीक्षा कराई जानी चाहिए। लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा की जाए। लेखापरीक्षा यह भी जांच करे कि क्या निधियों का निवेश करने में उचित वित्तीय प्रक्रिया अपनाई गई है। 13 मार्च 2007 को कैम्पा का लेखापरीक्षण प्रबन्ध संशोधित किया गया था और लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी थी।

तथापि उचित अभिलेखों के रखरखाव के अभाव में तदर्थ कैम्पा लेखाओं की कोई लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। यह मामला निकाय में सीएजी के प्रतिनिधि द्वारा अन्य तदर्थ कैम्पा सदस्यों के ध्यान में बारम्बार लाया गया था। 27 नवम्बर 2006 तथा 20 जून 2007 को आयोजित तदर्थ कैम्पा की इसकी बैठक में सीएजी के प्रतिनिधि द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि अर्थपूर्ण फारमेट में आंकड़ों के उचित संकलन तथा राशियों के मिलान के अभाव में कोई अर्थपूर्ण लेखापरीक्षा नहीं की जा सकती थी। संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 29 अप्रैल 2009 में प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा वैज्ञानिक विभाग ने उल्लेख किया कि चूंकि निवेश प्रयोजनों हेतु तदर्थ कैम्पा के पास निधियों की विशाल राशियां पडी है इसलिए यह विवेकी है कि अन्तर्ग्रस्त जोखिमों को ध्यान में रखकर लेखापरीक्षा की एक नियमित प्रणाली आरम्भ की जाए। हमारे पास उपलब्ध अभिलेखों से यह प्रतीत नहीं होता है कि तदर्थ कैम्पा ने अभी तक किसी लेखापरीक्षक (सीएजी की सलाह पर) की नियुक्ति की है। उन्होने यह भी सूचना मांगी कि क्या कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंध किए गए हैं।

13 मार्च 2007 को जारी संशोधन अधिसूचना 26 सितम्बर 2005 के उच्चतम न्यायालय आदेशों पर आधारित थी। हमने देखा कि उपरोक्त आदेश में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया था कि कैम्पा की आंतरिक लेखापरीक्षा सीएजी की सूची के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्येक छः माह में आयोजित की जाएगी। तथापि अधिसूचना में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वर्ष 2006–07 से 2011–12 तक की लेखा बहियां सीएजी की सूची में दर्ज सीए की एक फर्म द्वारा तैयार की गई हैं और लेखापरीक्षा को भेजी गई हैं जिन्होने आपत्ति की है कि उनके संज्ञान में आ सके उससे पूर्व तदर्थ कैम्पा के अधिकारियों द्वारा लेखा बहियां हस्ताक्षर की जानी चाहिएं। यह "लेखापरीक्षा के अध्ययीन" तदर्थ कैम्पा की 22 वीं बैठक में औपचारिक रूप से अपनाई जा रहीं इन लेखा बहियों के बावजूद है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह सामान्यतया स्वीकृत सिद्धान्त है कि मामलों के नियंत्रण के समय पर निकाय संगठन के लेखाओं के लिए उत्तरदायी है और लेखाओं का मालिक है। इसके अलावा जीएफआर के नियम 64 के अनुसार मंत्रालय/विभाग का सचिव, जो मंत्रालय/विभाग का मुख्य लेखाकरण अधिकारी है, अपने मंत्रालय/विभाग के वित्तीय प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी तथा जवाबदेह होगा और अपने मंत्रालय से सम्बन्धित व्यय तथा अन्य विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा सुनिश्चित करेगा कि

उसका मंत्रालय/विभाग वित्तीय लेनदेनों के पूर्ण तथा उचित अभिलेख तैयार करता है और प्रणालियों तथा कार्यविधियों को अपनाता है जो हर समय आन्तरिक नियंत्रणों को बरदाश्त करता है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा के निर्देशों के अनुसार स्वायत्त निकाय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लेखाओं का अनुमोदन करने से पूर्व सामान्यतया लेखापरीक्षा आरम्भ नहीं की जानी चाहिए।

इस प्रकार, जैसी स्वीकृत प्रथा है, शासी निकाय को लेखे तैयार तथा हस्ताक्षर करने चाहिए थे। सीएजी सूचीबद्ध सनदी लेखाकारों की फर्म द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा समाप्त होने तक तदर्थ कैम्पा की 22 वीं बैठक में लेखाओं की मात्र सशर्त स्वीकृत तदर्थ कैम्पा द्वारा लेखाओं का स्वामित्व के अनुरूप नहीं होती है अथवा ये लेखापरीक्षा हेतु लिए जाने के लिए तदर्थ कैम्पा के अन्तिम लेखा नहीं बनाते हैं। तदर्थ कैम्पा को 7 फरवरी 2013, उसी दिन जब ड्राफ्ट लेखे लेखापरीक्षा के लिए इसके द्वारा भेजे गए थे, को स्थिति से अवगत कराया गया था। इसके अलावा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सूचित किया (जुलाई 2013) कि कैम्पा निधियों की आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर थी और तदर्थ कैम्पा द्वारा एक बार वित्तीय विवरणी और लेखापरीक्षा रिपोर्ट को स्वीकृत करने के बाद ये सब लेखापरीक्षा के लिए भेजा जाएगा।

### 6.5.2 राज्य कैम्पा

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देश दिनांक 2 जुलाई 2009 के अनुसार राज्य कैम्पा लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अन्तराल पर की जाएगी जैसा उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के साथ – साथ महालेखाकार या इस बाबत उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित राज्य कैम्पा के लेखे राज्य कैम्पा द्वारा राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा तदर्थ कैम्पा को वार्षिक भेजे जाएंगे। राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित करने की राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को शक्ति होगी।

उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14 जुलाई 2009 द्वारा निर्देश दिया कि राज्य महालेखाकार वार्षिक आधार पर प्रतिवर्ष राज्य कैम्पा निधियों से किए गए खर्च की लेखापरीक्षा करेंगे।

यह पाया गया था कि केवल आंध्रप्रदेश राज्य ने 2009–11 वर्षों के लेखाओं की राज्य महालेखाकार से लेखापरीक्षा कराई। उत्तरप्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्यों ने 2010–12 वर्षों के अपने लेखाओं की केवल सनदी लेखाकारों से लेखापरीक्षा कराई। अन्य किसी राज्य ने निर्धारित फारमेट में अपने लेखाओं की राज्य महालेखाकार से लेखापरीक्षा नहीं कराई।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि भरे जाने वाले 45 विभिन्न प्रोफार्मा के साथ राज्य महालेखाकारों द्वारा राज्य कैम्पाओं से सम्पर्क किया गया है और ये प्रोफार्मा वन विभाग अथवा राज्य कैम्पा में उपयोग में नहीं थे और कि लेखापरीक्षा दल द्वारा उन्हें प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त अवसर/समय नहीं दिया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कथित प्रोफार्मा वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सूचित की जा रही अनुपालन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित है और तदर्थ कैम्पा के वार्षिक लेखाओं की वित्तीय प्रमाणित लेखापरीक्षा से

सम्बन्धित नहीं है। इसके अलावा हमने देखा कि लेखापरीक्षा में नमूना जांचित 30 राज्यों/यूटी में से 23[1] अनुपालन लेखापरीक्षा के 45 प्रोफार्मा में मांगी गई अधिकांश सूचना उपलब्ध नहीं करा सके। चूंकि अधिकांश राज्य/यूटी अपेक्षित सूचना उपलब्ध करा सके इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि न तो समय निर्धारित किया गया और न ही मांगी गई सूचना की मात्रा अनुचित थी बशर्ते अभिलेख उचित रूप में बनाए गए होते।

## 6.6 जवाबदेही तथा पारदर्शिता

प्रयोक्ता एजेंसियों से सीएएफ के प्रति प्राप्य धन के संग्रहण, उनके लेखांकन, संघ/राज्य/यूटी स्तर पर कैम्पा अधिकारियों द्वारा व्यय, सरकार के वित्तीय विवरणों में इस निधि और इससे प्राप्तियों तथा खर्चों, संसद तथा राज्य विधान मण्डलों को इसकी सूचना के प्रदर्शन से सम्बन्धित प्रबन्ध का वर्तमान नमूना पर्याप्त विषयों का प्रदर्शन करता है जिस पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ध्यान देना है।

- केन्दीय कैम्पा के पास निधियों की वर्तमान राशियां पर्याप्त हैं। 31 मार्च 2012 को वे ₹ 23607.67 करोड़ थीं।
- 31 मार्च 2012 तक राज्य/यूटी कैम्पा अधिकारियों को किया गया कुल निर्गम ₹ 2829.21 करोड़ था और उनके द्वारा सूचित व्यय ₹ 1775.84 करोड़ था।
- जबकि प्राप्तियां तथा व्यय प्रर्याप्त हुए हैं परन्तु या तो संसद अथवा राज्य विधान मण्डलों को सीएएफ से संबंधित आय तथा व्यय सूचित करने सूचित करने के लिए मंत्रालय द्वारा विकसित कोई प्रणाली विद्यमान नहीं है।
- संग्रहीत तथा खर्च की गई राशियां न केवल संसद तथा राज्य विधान मण्डलों को पता नहीं है बल्कि विधायी प्राधिकारियों द्वारा व्यय करने के प्राधिकरण के लिए कोई विधि तंत्र भी नहीं है।
- इस तथ्य को देखते हुए कि प्रतिपूरक वनरोपण के प्रति प्राप्त राशि काफी पर्याप्त हैं इसलिए यह समान रूप से उल्लेख करना व्यथित कर देने वाला है कि केन्द्र तथा राज्यों दोनो में कोई प्रणाली विद्यमान नहीं है जिससे उच्च स्तर पर मंत्रालय में अथवा राज्यों में अधिकारी स्वयं को संतुष्ट हो सके कि संग्रहीत की जा रही राशियां वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 तथा विभिन्न अन्य अधिनियमों, नियमों के अन्तर्गत विद्यमान आदेशों और सीएएफ के संग्रहण तथा उपयोग को विनियमित करने वाले उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप हैं।

किसी सत्व के लेखापरीक्षित लेखे लेखाकरण अवधि के दौरान इसके द्वारा दर्ज लेन देनों के संबंध में सभी पणधारियों को आश्वासन देते है। 2006 में अपने आरम्भ से केन्द्रीय कैम्पा (तदर्थ) ने आज तक लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि तदर्थ कैम्पा में लेखा बहियां उचित प्रकार नहीं बनाई जा रही हैं। प्राप्ति तथा भुगतान लेखे, आय तथा व्यय लेखा और तुलना पत्र तैयार नहीं किए गए थे। यह स्पष्ट रूप से पारदर्शिता तथा कैम्पा की जवाबदेही का प्रतिकूल रूप से अतिक्रमण करता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सूचित किया (जुलाई 2013) कि कैम्पा निधियों की आन्तरिक

[1] सात राज्य/यूटी (आंध्रप्रदेश, अरूणाचलप्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मध्यप्रदेश, मिजोरम, राजस्थान तथा सिक्किम) ने आंशिक सूचना दी।

लेखापरीक्षा समापन पर थी और एक बार वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट लेखापरीक्षा द्वारा अपनाए जाने पर ये लेखापरीक्षा को भेजे जाएंगे।

प्रतिपूरक वनरोपण के अन्तर्गत संग्रहीत की रही निधियों, उनसे व्यय की पर्याप्त राशियों, वनों के संरक्षण, सुरक्षा, पुनरूत्पादन तथा प्रबन्ध, वन्यजीव एवं इनके आवासों के संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबन्धन और प्रतिपूरक वनरोपण के सम्पूर्ण उददेश्यों, कैम्पा से संबंधित कार्य में अन्तर्ग्रस्त स्पष्ट लोक प्रयोजन को देखते हुए कैम्पा के वर्तमान प्रतिमान की मंत्रालय का जहां आवश्यक समझा जाए, उच्चतम न्यायालय से संपर्क द्वारा समीक्षा करने की आवश्यकता हैं। यह इस प्रकार किया जाना चाहिए जिसमें पारदर्शिता बढ़ती है, संसद तथा राज्य विधान मण्डलों दोनों के व्यापक केन्द्र के अन्दर और बृहतर सार्वजनिक दृष्टि में कैम्पा को लाता है ताकि विशालतम सम्भावित पणधारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। दूसरी और यह उचित होगा यदि तदर्थ कैम्पा में पडी राशियां भारत के लोक लेखे में अन्तरित की जाती हैं जैसा प्रतिपूरक वनरोपण निधि विधेयक 2008 में निर्दिष्ट था जो 2009 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और बाद में सदन के समापन पर समाप्त हो गया। अलग–अलग राज्यों को अन्तरण पारदर्शी बनाए जा सकते हैं ताकि इस विषय पर आवश्यक सूचना सभी लाभार्थियों को दी जा सके। यह सुनिश्चित करेगा कि बजटीय, वित्तीय तथा कैम्पा के निष्पादन संबंधित संकेतक/सूचना आय तथा कैम्पा से बहिर्वाहों के लिए केन्द्र तथा राज्य स्तर पर लोक दस्तावेजों में यथोचित रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं ताकि वर्तमान प्रबन्ध में वृहत्तर पारदर्शिता तथा जवाबदेही का प्रभाव हो सके।

लेखाओं की स्थिति की मामले को छोड़कर एमओईएफ ने जवाबदेही तथा पारदर्शिता से सम्बन्धित लेखापरीक्षा की उपर्युक्त आपत्तियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।